

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/ 2016, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 24, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह नवम्बर 2016 के लिए युगल पीठ गठन सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेश संख्या 2250/2016 दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से विभिन्न कार्य अवधियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर गठित युगल पीठ में से दिनांक 21.11.16 से 26.11.16 तक की अवधि के लिए आगरा व लखनऊ में गठित युगल पीठ को निरस्त करते हुए अन्य गठित युगल पीठों में सम्प्रिलित होने वाले सदस्यण की स्थिति कालम-5 के अनुसार निम्नवत् रहेगी:-

क्र०स०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	
1	2	3	4	
1	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	02.11.16 से 05.11.16	सदस्य पीठ-1 आगरा सदस्य पीठ-2 आगरा
2	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	02.11.16 से 05.11.16	सदस्य पीठ-1 इलाहाबाद सदस्य पीठ-2 इलाहाबाद
3	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3, व 4 कानपुर	21.11.16 से 26.11.16	सदस्य पीठ-1 कानपुर सदस्य पीठ-2 कानपुर
4	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	07.11.16 से 11.11.16	सदस्य पीठ अलीगढ़ सदस्य पीठ-2 गाजियाबाद
5	पीठ गोरखपुर	पीठ गोरखपुर	15.11.16 से 19.11.16	सदस्य पीठ-1 वाराणसी सदस्य पीठ-2 इलाहाबाद
6	पीठ झौसी	पीठ झौसी	15.11.16 से 19.11.16	सदस्य पीठ अलीगढ़ सदस्य पीठ-3 कानपुर
7	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	21.11.16 से 26.11.16	सदस्य पीठ-1 नोएडा सदस्य पीठ-2 आगरा
8	पीठ मुजफ्फरनगर	पीठ मुजफ्फरनगर	02.11.16 से 05.11.16	सदस्य पीठ-1 मेरठ सदस्य पीठ मुजफ्फरनगर
9	पीठ मुरादाबाद	पीठ मुरादाबाद	15.11.16 से 19.11.16	सदस्य पीठ बरेली सदस्य पीठ-3 लखनऊ
10	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	02.11.16 से 05.11.16	सदस्य पीठ-1 लखनऊ सदस्य पीठ-2 लखनऊ
11	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	21.11.16 से 26.11.16	सदस्य पीठ-3 वाराणसी सदस्य पीठ-6 वाराणसी

पीठ गठन की अवधि में सम्बन्धित पीठ के पीठासीन अधिकारी अथवा नियमित प्रभारी सदस्य की अनुपलब्धता की स्थिति में युगल पीठ के नामित सदस्यों में से न्यायिक सदस्य, सम्बन्धित पीठ/पीठों के प्रभारी की हैसियत से विविध प्रकृति के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

सम्बन्धित को तदनुसार सूचित किया जाये।

8४.२५।१०।१६
(डी०एस० त्रिपाठी)
ए.जे.एस.

अध्यक्ष,
वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/2438, 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को तीन प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक-एक प्रति राज्यप्रतिनिधि तथा स्थानीय अधिवक्ता बार को हस्तगत करायी जाये।
- कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसियेशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर अवगत करायें।
- श्री शिव कुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, उ०प्र०टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज रोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ०प्र० टैक्स बार एसोसिएशन, एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री आर०एस० गोयल, अधिवक्ता टैक्सयों एकेडमी एण्ड वेलफेर फोरम वेस्टर्न उ०प्र०, 52 नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- सम्बन्धित पीठ के प्रधान सहायक/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि नियत युगल पीठ में पुराने वादों को पर्याप्त मात्रा में नियत करें।
- वरिष्ठ सहायक (विवरण/यात्रा भत्ता/कम्पयूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र०निबन्धक
वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।